तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टीए/5976/2004/टोंक** **भोलू बनाम कन्हैयालाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.04.2022	**खण्डपीठ** **श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **<u>उपस्थित</u>** श्री अजीत सिंह राठौड, अधिवक्ता अपीलांट श्री एस0के0शर्मा, अधिवक्ता रेस्पो0 **<u>निर्णय</u>** यह अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, टोंक दिनांक 28.10.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने एक राजस्व वाद परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, द्वितीय टोंक के समक्ष बाबत खातेदारी अधिकारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थीय निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि ग्राम कासीर स्थित भूमि खसरा नं0 1551/1 रकबा 8 बीघा जिसके हाल खसरा नंबर 911रकबा 2 है0 बने है, अपीलांटस के पिता माधो की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है एवं पिता की मृत्यु के बाद अपीलांटस काबिज काश्त चल आ रहे है। लेकिन हाल ही हुये बंदोबस्त के दौरान उक्त खसरा नंबर की आराजी बंदोबस्त विभाग ने गलत रूप से प्रतिवादी/रेस्पो0 कन्हैयालाल के नाम दर्ज कर दी तथा मिलान क्षेत्रफल भी गलत बना दिया है जबकि नक्शा ट्रेस नये व पुराने में अपीलांटस की खातेदारी की भूमि स्पष्ट है तथा मौके पर अपीलांटस काबिज काश्त चले आ रहे है। चूंकि वर्तमान में उक्त भूमि बीसलपुर परियोजना में अवाप्त की जाकर मुआवजा राशि दी जा रही है इसलिए प्रतिवादी/रेस्पो0 जबरन कब्जा करने पर आमादा है। परीक्षण ने दावे व जबाव	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टीए/5976/2004/टोंक** **भोलू बनाम कन्हैयालाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दावे के आधार पर कुल 6 तनकीयात कामय की जाकर बाद गवाहान बहस समायत कर तनकीवार निर्णय पारित करते हुये वादी का वाद दिनांक 12.04.2002 को डिक्री कर दिया। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2002 के विरूद्ध प्रतिवादी/रेस्पो0 कन्हैयालाल ने अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, टोंक के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2004 से स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2002 को निरस्त कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2004 के विरूद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस प्रकरण में सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि प्रतिवादी/रेस्पो0 1 द्वारा राज्य सरकार के विरूद्ध राजस्व वाद संख्या 647/97 प्रस्तुत किया गया था जिसके पैरा संख्या 2 में उन्होने स्वयं अंकित किया कि बंदोबस्त विभाग ने उसकी खातेदारी के हाल खसरा नं0 894, 908, 909 गलत रूप से चारागाह अंकित कर दिये जबकि उसका आवंटन दिनांक से ही कब्जा काश्त चला आरहा है और उसकी खातेदारी में हाल खसरा नं0 911 मौके एवं कब्जे के खिलाफ उसके नाम गलत अंकित कर दिये है। अतः रिकार्ड व नक्शा शीट मे दुरूस्ती की जावे तथा पैरा संख्या 3 में अंकित किया कि ‘‘वादी कन्हैयालाल ने बैक से ऋण लेकर खसरा नं0 908 पर कुआं भी खुदवाया है सभी खसरा नंबर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टीए/5976/2004/टोंक** **भोलू बनाम कन्हैयालाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गलत रूप से चारागाह अंकित कर दिये है तथा खसरा नं0 911 भोलू देवी पुत्रान माधो की खातेदारी की भूमि है। जिस पर वे काबिज काश्त है।'' अर्थात प्रतिवादी/रेस्पो0 का स्वयं का स्वीकृत तथ्य है लेकिन वादीगण द्वारा प्रस्तुत वर्तमान वाद के जवाब में उपरोक्त स्वयं स्वीकृत तथ्य के विपरीत जाकर मिलान क्षेत्रफल सही होना एवं खसरा नं0 911 पर कन्हैयालाल का काबिज होना बंदोबस्त विभाग द्वारा पूर्व प्रविष्ठि को सही रूप में परिवर्तन करना अंकित किया है जो विरोधाभासी कथन है। दस्तावेजी साक्ष्य से भी खसरा नं0 911 वादीगण की खातेदारी की होना सिद्ध होने के बावजूद अपीलीय न्यायालय विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि वादीगण के पिता को साबिक ख0न0 1551/1 रकबा 8 बीघा तथा प्रतिवादी/रेस्पो0 कन्हैयाला को 1551/2 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा भूमि आवंटित की गयी थी। चूंकि 8 बीघा भूमि के ही 2 हैक्टर बनते है तो अपीलीय न्यायालय ने 7 बीघा 18 बिस्वा के बजाय प्रतिवादी/रेस्पो0 2 हैक्टर का खातेदार बना दिया और मिलान क्षेत्रफल में भी गलत अंकन कर दिया जो प्रथमदृष्टया ही सिद्ध है जिसे नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय आदेश 41 नियम 31 सी0पी0सी0 की पालना नहीं की है उनको उक्त आदेश की पालना करते हुये तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए जो उनके द्वारा नहीं किया है। इसलिए भी अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने 2001 आर0आर0टी0 (1) पेज 244, 2008 आर0आर0टी0(1) पेज 151, 2003 आर0एल0डब्ल्यू (3) पेज 1891 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टीए/5976/2004/टोंक** **भोलू बनाम कन्हैयालाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने बहस में कथन किया कि रेस्पो0 साबिक ख0न0 1551 में 7 बीघा 18 बिस्वा भूमि का आवंटन हुआ था और पटवारी हल्का द्वारा मौके परजाकर कब्जा सुपुर्द किया जब से वह उक्त रकबे पर कब्जा काश्त करता आ रहा है। सेटलमेंट विभाग ने जो मिलान क्षेत्रफल बनाया है वह बिल्कुल सही बनाया है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि उक्त आराजी बीसलपुर बांध की डूब में आ गयी है और उसका मुआवजा मिलने वाला है इस कारण अपीलांट नियत में बईमानी आ गयी है वह जानबुझकर रेस्पो0 को परेशान कर रहे है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलांट्स ने अपने भूमि की तरमीम या सुपुर्दगी शीट पेश नहीं है। धारा 4 व 6 की भूमि अवाप्ति की कार्यवाही हो चुकी है, अवार्ड जारी होने पर अपीलांट ने कोई ऐतराज नहीं किया। राज्य सरकार ने भूमि का कब्जा रेस्पो0 से प्राप्त किया है तो मुआवजा भी रेस्पो0 को ही मिलना चाहिए। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत पूर्व दावे में न्यायालय ने रेस्पो0 को खातेदारी दी गयी थी। रेस्पो0 ने मिलान क्षेत्रफल व जमाबंदी संवत 2038–39 पेश की जिसमें भूमि बजंड है जबकि ख0न0 911 जो रेस्पो0 के खाते में है वह बारानी तृतीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय ने संपूर्ण तथ्यों को विवेचन व विश्लेषण के करने के उपरांत ही निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत है। अतः प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण रिकार्ड तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टीए/5976/2004/टोंक** **भोलू बनाम कन्हैयालाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अवलोकन व विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि के संबंध में परीक्षण न्यायाल द्वारा घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा स्वीकार कर डिक्री किया गया है जबकि अपीलीय न्यायालय द्वारा परीक्षण न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुये इसके विपरीत निर्णय पारित किया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि परस्पर विपरीत निर्णय पारित करते समय अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश 41 नियम 31 सी0पी0सी0 के प्रावधान अनुसार प्रकरण का तनकीवार परीक्षण कर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है। जो इस अपीलाधीन निर्णय में अपीलीय न्यायालय द्वारा नहीं किये जाने से उक्त निर्णय विधि विरूद्ध पाया जाता है। विवादित भूमियों के संबंध में सवंत 2036-39 में सेटलमेंट कार्यवाही के दौरान भूमियां कैन्हैयालाल पुत्र लक्ष्मीनारायण के नाम दर्ज कर दी गयी। सेटलमेंट विभाग को राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अधिकारों के परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं होता है। जिसके कारण उक्त कार्यवाही पूर्णतया विधि विरूद्ध पायी जाती है। रेस्पो0/प्रतिवादी अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने के कारण भी इस प्रकार का अधिकार हस्तांतरण धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विपरीत होने से विधि विरूद्ध पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि अपील में पैरा संख्या 3 में वर्णित विवरण अनसुार रेस्पो0/प्रतिवादी कैन्हयालाल द्वारा एक राजस्व वाद संख्या 647/97 प्रस्तुत किया गया था जिसके पैरा संख्या 2 में अंकित किया था और दावे के बयानों में भी उसने यह स्वीकार किया था कि तीनों खसरा नंबर चारागाह दर्ज कर दिये गये थे और खसरा नं0 911 मेरे गलत दर्ज कर दिया गया है। इस संबंध में बिबन्धन के सिद्धान्त अनुसार रेस्पो0/प्रतिवादी अपनी इस स्वीकारयोक्ति के विपरीत किसी प्रकार का दावा या अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यात्मक व विधिक स्थिति के आधार पर हम प्रकरण अपीलीय न्यायालय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टीए/5976/2004/टोंक** **भोलू बनाम कन्हैयालाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वह आदेश 41 नियम 31 सी0पी0सी के आज्ञापक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये रिकार्ड पर प्रस्तुत सम्पूर्ण लिखित व मौखिक साक्ष्य के आधार पर पुनः नये सिरे से तनकीवार विधिसंगत निर्णय पारित करे।

परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिकरूप स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, टोंक द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2004 अपास्त किया जाता है। सभी संबंधित पक्ष अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, टोंक के समक्ष दिनांक 19.04.2022 को उपस्थित होवें।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टीए/5976/2004/टोंक** **भोलू बनाम कन्हैयालाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए